(भारत के राजपत्र के भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2019

आदेश

सं.6/5/2015-टीयूएफएस: एटीयूएफएस का संशोधित दिशानिर्देश अर्थात वित्तीय और प्रचालनात्मक मानदंड और क्रियान्वयन तंत्र दिनांक 13.01.2016 से 31.03.2022 तक इसके क्रियान्वयन अवधि के दौरान दिनांक 02.08.2018 को संशोधित संकल्प के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से उक्त संशोधित संकल्प में एततद्वारा निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए जाते हैं:

(i) पैरा 2.6 में "सिविंग मशीनरी" शब्द के पश्चात "स्टैंड अलोन एम्ब्रायडरी क्रियाकलाप सहित और एम्ब्रायडरी" जोड़ा जाता है।

(ii) पैरा 4.1 के नीचे तालिका में क्रम संख्या 1 में "स्टैंड अलोन एम्ब्रायडरी क्रियाकलाप, मेड-अप्स सहित एम्ब्रायडरी" शब्द जोड़ा जाता है।

पैरा 4.1 के अंतर्गत नोट: स्टैंड अलोन एम्ब्रायडरी इकाइयां 15% सीआईएस के लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत स्टैंड अलोन आधार पर एम्ब्रायडरी मशीनों की खरीद करने के लिए सब्सिडी की पात्र हैं जिसके लिए ऋण स्वीकृति की तारीख 27.02.2019 अथवा उसके पश्चात है।

(iii) पैरा 3.4 को "वस्त्र आयुक्त को मशीनरी निर्माता की सांकेतिक सूची अनुमोदित करने और उसके पश्चात वेबसाइट में उसे डालने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इस प्रकार अपलोड की गई सूची की टीएएमसी की आगामी बैठक में अभिपुष्टि की जाएगी" पढ़ा जाए।

(iv) पैरा 3.5 में "ऐसे मामलों में ऊपर पैरा 3.4 में उल्लिखित तकनीकी समिति उन विनिर्माताओं और मशीनरी का सत्यापन करेगी और यदि उपयुक्त पाया जाएगा तो उन्हें टीएएमसी द्वारा विनिर्माताओं की सांकेतिक सूची में शामिल किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी" वाक्य को "ऐसे मामलों में यदि उन विनिर्माताओं को पात्र पाया जाएगा तो वस्त्र आयुक्त द्वारा उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा और टीएएमसी द्वारा उनकी अभिपुष्टि की जाएगी" पढ़ा जाए।

(v) संशोधित दिशानिर्देश के पैरा 10.2.6 की चौथी लाइन में "मशीनरी" शब्द को "मशीनरी विनिर्माता" पढ़ा जाए। पैरा 10.2.6 में "तकनीकी समिति की आगामी मासिक बैठक में। टीएएमसी के अनुमोदन से यह कार्रवाई 45 दिन के भीतर पूरी हो जानी चाहिए"। शब्द के स्थान पर "वस्त्र

आयुक्त द्वारा जिसकी बाद में टीएएमसी द्वारा अभिपुष्टि की जाएगी। यह कार्रवाई 45 दिन के भीतर पूरी हो जानी चाहिए।"

(vi) पैरा 3.3 की दूसरी लाइन, पैरा 10.2.2 की तीसरी एवं चौथी लाइन तथा पैरा 10.4.3 की चौथी लाइन से "आपूर्तिकर्ता(ओं)" शब्द हटाया जाता है।

(vii) पैरा 10.2.5 की दूसरी लाइन में "एक वर्ष से आगे" शब्द को "एक वर्ष की आरंभिक निर्धारित अवधि से आगे एक वर्ष तक" पढ़ा जाए।

म० सिन्हा

(मनोज सिन्हा)
उप सचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस शुद्धि-पत्र को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस शुद्धि-पत्र की प्रतियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को भेजी जाएं।

म० सिन्हा

(मनोज सिन्हा)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय
मायापुरी।